

विक्रय की उद्घोषणा

(नियम 29 व 54)

न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जयपुर

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 230-235-237 के अधीन चूक करने वाले श्री विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा निवासी 105, जैन विहार, जगदम्बा नगर के पास, कमला नेहरू नगर के पास, अजमेर रोड़, जयपुर द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय की खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित, कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विक्रय किया जायेगा।

स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय खनि कार्यदेशक (अधिकारी का नाम बताया जाये) श्री जैद अली, खनि कार्यदेशक-द्वितीय के द्वारा दिनांक 21.12.25 को 11.00 AM बजे (विक्रय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा। तथापि किसी भी प्लॉट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दश में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

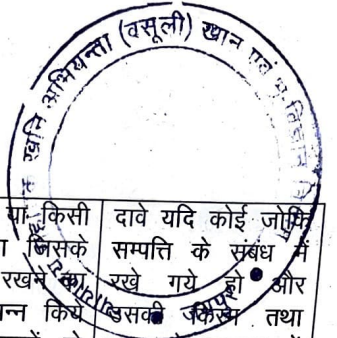
सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गीत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में प्लॉट को तुरंत नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे ऊंची बोली लगाने वाला किसी भी प्लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि ऊंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित रहेगा।
4. कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येक प्लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसको क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा। और ऐसी जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा। और ऐसी व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्च के लिये तथा पुनः विक्रय कि कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिये उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजस्व बकाया हो। (ख) खरीददार द्वारा क्रय-मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रह दिनों में न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी। (ग) अनुमत अवधि के क्रय-मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञापित जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिये वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो बैठेगा। (घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आये ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।
7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के संबंध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी। (ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागों, तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी। (ग) उपर्युक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मार्फत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किय जाय जेसा कि सरकार उचित समझे।

अनुसूची

वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम:- 1,23,43,934/-
2. कुर्की का खर्चा:- नियमानुसार



बेची जाने वाली सम्पत्ति

समूहों (प्लॉटों) की संख्या:-	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व	भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत यह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि या अधिकारों के विवरण (तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप-धारा (3))	दावे यदि कोई जो भूमि सम्पत्ति के संबंध में रखे गये हों और मूल्य के राजस्व में कोई भी अन्य शांत विवरण
1	आवासीय भूखण्ड संख्या 105, जैन विहार, जगदम्बा नगर के पास, कमला नेहरू नगर के पास, अजमेर रोड़, जयपुर			
1	2	3	4	5

क्रमांक:खअ/जय/वसूली(आऊट)/कोट/2019/ 373

दिनांक: 17/06/2025

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, रामकिशोर व्यास भवन, इन्द्रा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
2. जिलाधीश महोदय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम (ग्रेटर), पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड़, जयपुर।
4. तहसीलदार, जयपुर।
5. सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली को भेजकर लेख है कि नीलामी दिनांक को आपके कार्यालय के तकनीकी स्टॉफ की उपस्थिति भी सुनिश्चित करावें।
6. डीएमजीओएमएस को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।
7. थानाधिकारी, भांकरोटा/करण विहार, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी को बाकीदार के आवास पर चप्पा कर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से न्यायालय को भिजवायी जावें।
8. श्री जैद अली, खनि कार्यदेशक-द्वितीय।
9. श्री विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा निवासी 105, जैन विहार, जगदम्बा नगर के पास, कमला नेहरू नगर के पास, अजमेर रोड़, जयपुर।

आज दिनांक 17/6/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

17-6-2025
सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)
खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जयपुर
जयपुर (राजस्थान)